FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0071 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/05/2024 14:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

 1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 30/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 02/05/2024

 Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:43 बजे

 (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/05/2024 **Time (समय):** 10:20 बजे

 (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/05/2024 14:43:45 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

 1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 48 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

 (b) **Address(पता):** BOTUNDA TIRAHA, TODARAY SINGH ROAD, BASSI

 (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

 Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ASHOK KUMAR MALI

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** GORU LAL MALI

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2002 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BASSI KEKRI, TODARAI SINGH, केकड़ी, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BASSI KEKRI, TODARAI SINGH, केकड़ी, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-8302424496

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	UPENDRA KUMAR		पिता:RAM KISHORE KUSHWAH	1. YASHPUR TARWAH,GAYA BIHAR,फतेहपुर,गया,बिहार,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	रिश्वती राशि चार हजार रूपये	4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक विषय - रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मैं अशोक कुमार माली पुत्र श्री गोरूलाल माली जाति माली उम्र 22 साल निवासी ग्राम व पोस्ट बस्सी तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी का रहने वाला हु। मैंने आज से करीब 6 माह पूर्व मेरी माता प्रेमदेवी पत्नि श्री गोरूलाल माली निवासी बस्सी के नाम से घरेलू लाईट कनेक्शन की फाईल जी.एस.एस. टोडारायसिंह में लगायी थी लेकिन हमारे घरेलू कनेक्शन नही हुआ। जी.एस.एस. टोडारायसिंह में कार्यरत श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन हमारे गॉव की लाईट का मैनेजमेन्ट व बिल आदि का काम करता है। मैं कल दिनांक 29.04.2024 श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन साहब से एस. बी.आई. बैंक टोडारायसिंह के सामने मिला तथा हमारे कनेक्शन के लिये कहॉ तो कहने लगे कि ऐसे कनेक्शन नही होता है तुम्हारी फाईल मेरे पास ही है तु मुझे 8000 रूपये देगा तब मैं तेरी फाईल पर रिपोर्ट करके तुम्हारा डिमान्ड जमा करवारूगॉ । मैने लाईनमेन साहब से कहॉ कि हमारा डिमान्ड अभी तक आया ही नही है तथा मेरे आस-पास के लोगो का लाईट का डिमान्ड ढाई-तीन हजार रूपये के आस-पास ही आया है तो आप मुझसे 8000 रूपये किस बात के ले रहे हो तो कहने लगा कि मैं तो इतने ही रूपये लेता हु तथा 3000 रूपये उसी समय ले लिया तथा शेष 5000 रूपये कनेक्शन लगाते समय देने हेतु कहॉ है तथा उपेन्द्र कुमार लाईनमेन मुझे कल टोडारायसिंह बुलाया है जो मुझसे और रूपये की मॉग करेगा। मैं श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह को रिश्वत नही देना चाहता हु ॅ रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरी श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह से कोई पुरानी रंजीश व पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी अशोक कुमार माली पुत्र श्री गोरूलाल माली जाति माली उम्र 22 साल निवासी ग्राम व पोस्ट बस्सी तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी मोबाईल नम्बर 8302424496 कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक दिनांक 30.04.2024 समय 10.30 ए0एम0 को परिवादी अशोक कुमार माली पुत्र श्री गोरूलाल माली जाति माली उम्र 22 साल निवासी ग्राम व पोस्ट बस्सी तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् झाबर मल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आषय का पेष किया कि मैं ग्राम बस्सी तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी का रहने वाला हु ॅ। मैं आज से करीब 6 माह पूर्व मेरी माता प्रेमदेवी पत्नि श्री गोरूलाल माली निवासी बस्सी के नाम से घरेलू लाईट कनेक्शन की फाईल जी.एस.एस. टोडारायसिंह में लगायी थी लेकिन हमारे घरेलू कनेक्शन नही हुआ। जी.एस.एस. टोडारायसिंह में कार्यरत श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन हमारे गॉव की लाईट का मैनेजमेन्ट व बिल आदि का काम करता है। मैं कल दिनांक 29.04.2024 श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन साहब से एस.बी.आई. बैंक टोडारायसिंह के सामने मिला तथा हमारे कनेक्शन के लिये कहॉ तो कहने लगे कि ऐसे कनेक्शन नही होता है तुम्हारी फाईल मेरे पास ही है तु मुझे 8000 रूपये देगा तब मैं तेरी फाईल पर रिपोर्ट करके तुम्हारा डिमान्ड जमा करवारूगॉ। मैने लाईनमेन साहब से कहॉ कि हमारा डिमान्ड अभी तक आया ही नही है तथा मेरे आस-पास के लोगो का लाईट का डिमान्ड ढाई-तीन हजार रूपये के आस-पास ही आया है तो आप मुझसे 8000 रूपये किस बात के ले रहे हो तो कहने लगा कि मैं तो इतने ही रूपये लेता हु तथा 3000 रूपये उसी समय ले लिया तथा शेष 5000 रूपये कनेक्शन लगाते समय देने हेतु कहॉ है तथा उपेन्द्र कुमार लाईनमेन मुझे कल टोडारायसिंह बुलाया है जो मुझसे और रूपये की मॉग करेगा। मैं श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह को रिश्वत नही देना चाहता हु ॅ रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। मेरी श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह से कोई पुरानी रंजीश व पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया। परिवादी ने मजिद दरियाप्त पर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यां की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वंय के द्वारा हस्तलिखित होकर हस्ताक्षरित करना बताया। परिवादी ने स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेष की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गयी। परिवादी द्वारा पेष प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है। अतः विभागीय प्रक्रियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाकर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। समय 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार माली ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हु। श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह ने मुझे कल टोडारायसिंह बुलाया है। इस कारण मैं कल दिनांक 01.05.2024 को श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह से मिलकर मेरे घरेलू कनेक्षन

लगाने के सम्बन्ध में वार्ता करूगाॅ तथा रिश्वत में दी जाने वाले राशि के सम्बन्ध में भी वार्ता कर लूंगा। समय 11.30 ए.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 को तलब कर परिवादी श्री अशोक कुमार माली से आपस में परिचय करवाया गया। कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईष की गई तथा परिवादी को समझाईस की गई कि आरोपी के पास मॉग सत्यापन वार्ता करने जाने से पूर्व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करे। समय करीब 11.55 ए.एम. पर परिवादी को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूकसत किया गया। दिनांक 01.05.2024 समय 03.40 पी.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार माली ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि मेरी श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह से बात हुयी है उन्होने मुझे शाम को 7 बजे के आस-पास टोडारायसिंह बुलाया है। अतः आप श्री राजकुमार जी को वायस रिकार्डर देकर एस.बी.आई. बैक.टोडारायसिंह भेज देवे। इस पर समय 5.05 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 को तलब कर सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर सुपर्द कर उचित हिदायत देकर मॉग सत्यापन वार्ता हेतु टोडारायसिंह रवाना किया गया। समय 7.55 पी.एम. पर श्री राजकुमार कानि. 160 ने जरिये दूरभाष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता हो गई है। उस वार्ता को मेरे द्वारा सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से 3000 रूपये पूर्व में लेना तथा कुछ राशि कम करने के बाद शेष 4000 रूपये रिश्वत राशि की मॉग कर रहा है, जो कल कनेक्शन करने के समय रिश्वत राशि देने हेतु कह रहा है। इस पर परिवादी श्री अशोक कुमार माली से भी वार्ता की गई तो उसने भी बताया कि श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह से वार्ता हो गई है जो वार्ता मैंने आपके द्वारा दिये वायस रिकार्डर में रिकार्ड कर ली है तथा वायस रिकार्डर श्री राजकुमार जी को दे दिया है। श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह मेरे घरेलू कनेक्शन करने की एवज में 7000 रूपये रिश्वत राशि की मॉग की तथा पूर्व में 3000 रूपये देने के बाद शेष 4000 रूपये कल कनेक्शन करते समय देने हेतु कहाॅ है। इस पर परिवादी ने बताया कि अभी रात अधिक हो चुकी है। इसलिये मैं अभी घर जाना चाहता हुॅ तथा सुबह मैं आपके कार्यालय पर आ जाउगाॅ। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की समझाईस कर सुबह रिश्वत राशि 4000 रूपये लेकर कार्यालय आने हेतु समझाईस कर रूकसत किया गया। श्री राजकुमार कानि. को हमराह वायस रिकार्डर लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु उचित हिदायत की गई। समय ़9.45 पी0एम0 पर श्री राजकुमार कानि. 160 उपस्थित कार्यालय आया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये बताया कि ''मैं कार्यालय से रवाना होकर टोडारायसिंह पहुचा। जहाॅ पर परिवादी श्री अशोक कुमार माली उपस्थित मिला। जहाॅ परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह को मैने फोन किया था तो श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह ने हमारे ग्राम बस्सी में बिल काटने हेतु जाना बताया तथा वह अभी हमारे गॉव बस्सी में ही है। जिस पर मैं व परिवादी रवाना होकर ग्राम बस्सी के बाहर शम शान घाट के बाहर पहुचे। समय 7.17 पी.एम. पर मैने वायस रिकार्डर चालू करके परिवादी को देकर रवाना किया था तथा मैं वही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम रहा। समय 7.31 पी.एम. के लगभग परिवादी मेरे पास आया और वायस रिकार्डर मुझे सुपर्द किया जिसको मैने बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर गॉव में पहुचा तथा श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह से जर्ये मोबाईल वार्ता की तो उन्होने स्वंय को हमारे गॉव के छोटू माली के घर पर होना बताया तथा मुझे छोटू माली के घर पर बुलाया। जिस पर मैं रवाना होकर छोटू माली के घर के बाहर पहुचा, जहाॅ घर के बाहर श्री रूपेन्द्र कुमार उर्फ उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस. एस. टोडारायसिंह मिला। जिनसे मैने घरेलू कनेक्शन के लिये कहाॅ तो उसने मुझसे 3000 रूपये पूर्व में देना तथा शेष 4000 रूपये और देने हेतु कहाॅ जिस पर मैने उसको कल देने हेतु कहाॅ है। इसके बाद मैंने वायस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुना तो परिवादी के बताये कथनो की ताईद हुयी। उसके बाद मैने आपको फोन करके बताया था तथा परिवादी से बात करवायी थी। उक्त वार्ता वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी है। इसके बाद मैं आपके निर्देषानुसार परिवादी को रिश्वत राशि लेकर सुबह एसीबी कार्यालय टोंक पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूकसत करने के बाद उपस्थित आया हुं।'' मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो मांग सत्यापन होना पाया गया। वायस रिकार्डर कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 02.05.2024 समय 8 ए.एम0 पर परिवादी श्री अशोक कुमार माली उपस्थित आया तथा बताया कि कल दिनांक 01.05.2024 को श्री राजकुमार जी कानि. साहब समय करीब 6.45 पी.एम. के आस-पास एस.बी.आई. बैक के पास टोडारायसिंह आये थे। जहाॅ पर मैं उनको मिला था। जहाॅ मैने उनको बताया कि आरोपी श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह को मैने फोन किया था तो श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह ने हमारे ग्राम बस्सी में बिल काटने हेतु जाना बताया तथा वह अभी हमारे गॉव बस्सी में ही है। जिस पर मैं व राजकुमार जी रवाना होकर हमारे गॉव बस्सी के बाहर शमषान घाट के यहाॅ रूके थे। जहाॅ राजकुमार जी ने वायस रिकार्डर चालू करके मुझे देकर रवाना किया था तथा राजकुमार जी वही पर रूक गये थे। मैं राजकुमार जी के पास से रवाना होकर गॉव में पहुचकर श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह से जरिये मोबाईल वार्ता की तो उन्होने हमारे गॉव के छोटू माली के घर पर होना बताया तथा मुझे छोटू माली के घर पर बुलाया। जिस पर मैं रवाना होकर छोटू माली के घर के बाहर पहुचा, जहाॅ घर के बाहर श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह मिला। जिनसे मैने हमारे घरेलू

कनेक्शन के लिये कहाँ तो उसने मुझसे 3000 रूपये पूर्व में देना तथा कुछ राशि कम करने के बाद शेष 4000 रूपये और देने हेतु कहाँ जिस पर मैने उसको कल देने हेतु कहाँ। इसके बाद मैं वहाँ से रवाना होकर राजकुमार जी के पास आ गया तथा वायस रिकार्डर को राजकुमार जी को दे दिया था जिन्होने रिकार्डर बंद कर अपने पास रख लिया था तथा उनको सारी बात बतायी थी। फिर राजकुमार जी ने वायस रिकार्डर को चलाकर सुना था। इसके बाद मैने आपसे जरिये दूरभाष वार्ता की थी। इस पर समय 9.30 ए.एम. पर श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानिस्टेबल 32 को परिवादी श्री अशोक माली के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय आयुक्त नगर परिषद टोक के नाम तहरीर जारी कर उचित हिदायत कर रवाना किया गया। समय 09.50 ए.एम. पर श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानिस्टेबल 32 के हमराह कार्यालय आयुक्त नगर परिषद टोक से दो स्वंतत्र गवाह 1. श्री अजय कुमार सेलिवाल पुत्र श्री मिठ्ठूलाल सेलिवाल जाति मेहत्तर उम्र 44 साल निवासी काली पलटन, वार्ड नम्बर 52 टोक हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय आयुक्त नगर परिषद टोक मोबाईल नम्बर 8209651342 2. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री स्व. तेजमल चौहान जाति दर्जी उम्र 54 साल निवासी टिक्कीवालो को मोहल्ला पुरानी टोक हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय आयुक्त नगर परिषद टोक मोबाईल नम्बर 9414657220 के उपस्थित कार्यालय आये। दोनो स्वतंत्र गवाहान का परिचय लिया जाकर स्टाफ से परिचय करवाया गया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनो ने अपनी-अपनी सहमति दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र गवाहान को पढाया जाकर उनके हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10 ए.एम. पर सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 02.05.2024 से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी से निकलवाया जाकर वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रि्रप्ट श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 03 खाली सीडीयो में राईट (कॉपी) किया गया। 2 सीडीयो को पृथक-पृथक प्लास्टिक के कवर में रखकर सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क ए-1, ए-2, अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। उपरोक्त शील्डषुदा आर्टिकल्स को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखवाया गया तथा वायस रिकार्डर को अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार माली को आरोपी को रिष्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 8 नोट 4000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीषी श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्री भूपेन्द्र कुमार से ही उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री अशोक कुमार माली के पहनी हुए पेन्ट की बायी जेब की तलाषी स्वतत्र गवाह श्री अजय कुमार सेलिवाल से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर उक्त पाउडर लगी हुयी राषि परिवादी के पेन्ट की बायी जेब में श्री भूपेन्द्र कुमार से रखवायी गयी। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया का दृष्टान्त देकर समझाई गई। तथा परिवादी को सिर पर साफी बाधकर रिश्वत राशि लेन-देन का ईशारा करने हेतु समझाया गया एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। परिवादी से आरोपी की लोकेषन के सम्बंध मे पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैने अपने स्तर पर जानकारी की है श्री उपेन्द्र कुमार लाईमेन अभी टोडारायसिंह में ही है। इसी दौराने प्राईवेट गाडी वाले को फोन किया गया था जो मय वाहन उपस्थति चौकी हाजा आया है। समय 11.40 ए.एम. पर परिवादी श्री अशोक कुमार माली को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से तथा श्री मोहम्मद जुनेद हैड कानिस्टेबल को स्वंय की मोटरसाईकिल से मय श्री जलसिंह कानि. 248 के रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ श्री आसिफ खॉ स.उ.नि. श्री जलसिंह कानि. 248, श्री अजित सिंह कानि. 56 श्री राजकुमार कानि. 160 श्री ईश्वर प्रकाश कानि0 256, श्री गणेश सिंह कानि. 375 एवं स्वतंत्र गवाह श्री अजय कुमार सेलिवाल व श्री कन्हैयालाल चौहान तथा तैयारषुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, प्रिन्टर, वॉयस रिकार्डर (जिसमें खाली मेमोरी कार्ड) के प्राईवेट वाहन से टोडारायसिंह के लिए रवाना हुआ। श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उचित हिदायत कर कार्यालय छोडा गया। समय 1 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी व गवाहान मय प्राईवेट वाहनो के टोडारायसिंह से पहले एकान्त स्थान पर पहुचा। जहाँ पर परिवादी को आरोपी की लोकेषन हेतु जानकारी करने के लिये कहाँ तो परिवादी ने बताया कि अभी आरोपी का मोबाईल बंद आ रहा है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये और परिवादी अशोक कुमार माली को राजकुमार कानि. 160 के साथ अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये आरोपी की जानकारी कर बताने हेतु रवाना किया। समय 2.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने आकर बताया कि अभी श्री उपेन्द्र कुमार लाईमेन साहब से मेरी फोन पर बात हुयी है। जिनको मैने मिलने हेतु कहाँ तो उन्होने मुझे कहाँ कि मैं शाम को 5.30 बजे के आस-पास तेरे गॉव बस्सी आउगॉ वही गॉव से पहले मिल लेगे। अभी मैं किसी काम में बिजी हु। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट वाहन के ग्राम बस्सी के लिये रवाना होकर

सम्भावित स्थान का निरीक्षण कर ग्राम बासेडा रोड की तरफ रवाना हुआ। समय 5 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहन मय प्राईवेट वाहन के ग्राम बस्सी से पूर्व बाटून्दा तिराहा पर पहुचे तथा अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। समय 5.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने आकर बताया कि श्री उपेन्द्र कुमार बस्सी रोड पर शमषान घाट के पास मोटरसाईकिल के पास खडा हुआ है। इस पर परिवादी को पुनः ट्रेप प्रक्रिया की समझाईस कर वायस रिकार्डर चालू करके रिश्वत राशि देने हेतु उचित हिदायत कर रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुआ। समय 6.05 पी.एम. पर दर्ज रहे कि समय 5ः43 पीएम पर परिवादी श्री अशोक कुमार माली पुत्र श्री गोरूलाल माली जाति माली उम्र 22 साल निवासी ग्राम व पोस्ट बस्सी तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी ने ग्राम बस्सी से लगभग 100 मीटर पहले बोटून्दा तिराहे के पास अपने सिर पर साफी बांधकर रिष्वत प्राप्ति के सम्बन्ध में ईषारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी के पास एक व्यक्ति हीरो सुपर स्पलेण्डर मोटरसाईकिल नम्बर RJ26-SU-2433 के पास रोड पर खडा हुआ दिखाई दिया। परिवादी ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया। वॉयस रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मोटरसाईकिल के पास खडे व्यक्ति की ओर ईषारा कर बताया कि ''यह श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन जी.एस.एस. टोडारायसिंह है जिन्होंने मेरे घरेलू कनेक्शन करने की एवज में अभी 4,000 रूपये रिश्वत लेकर अपने हाथों में रख लिए है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के पास हीरो सुपर स्पलेण्डर मोटरसाईकिल पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिषोर जाति कुषवाह उम्र 36 साल निवासी गांव यषपुर पोस्ट तरवा पुलिस थाना फतेहपुर जिला गया (बिहार) हाल तकनीकी सहायक द्वितीय (लाईनमेन) कार्यालय सब डिविजन सहायक अभियंता जेवीवीएनएल टोडारायसिंह जिला टोंक का होना बताया। उक्त व्यक्ति को परिवादी से प्राप्त की गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा गया तो वह घबरा गया तथा फिर बोला कि ''मैनें इनसे कोई रिश्वत की मांग नहीं की, इन्होनें ही अपनी मर्जी से यह रूपये दिये है इस पर परिवादी अशोक कुमार माली ने स्वतः ही बताया कि ''यह झुंठ बोल रहा है, मैंने आज से करीब 6 माह पूर्व मेरी माता प्रेमदेवी पत्नि श्री गोरूलाल माली निवासी बस्सी के नाम से घरेलू लाईट कनेक्शन की फाईल जी.एस.एस. टोडारायसिंह में लगायी थी लेकिन हमारे घरेलू कनेक्शन नही हुआ। जी.एस.एस. टोडारायसिंह में कार्यरत श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन हमारे गॉव की लाईट का मैनेजमेन्ट व बिल आदि का काम करता है। मैं दिनांक 29.04.2024 श्री उपेन्द्र कुमार लाईनमेन साहब से एस.बी.आई. बैंक टोडारायसिंह के सामने मिला तथा हमारे कनेक्शन के लिये कहॉ तो कहने लगे कि ऐसे कनेक्शन नही होता है तुम्हारी फाईल मेरे पास ही है तु मुझे 8000 रूपये देगा तब मैं तेरी फाईल पर रिपोर्ट करके तुम्हारा डिमान्ड जमा करवारूगॉं। मैने लाईनमेन साहब से कहॉ कि हमारा डिमान्ड अभी तक आया ही नही है तथा मेरे आस-पास के लोगो का लाईट का डिमान्ड ढाई-तीन हजार रूपये के आस-पास ही आया है तो आप मुझसे 8000 रूपये किस बात के ले रहे हो तो कहने लगा कि मैं तो इतने ही रूपये लेता हु तथा 3000 रूपये उसी समय ले लिया तथा शेष 5000 रूपये कनेक्षन लगाते समय देने हेतु कहॉ था। जिस पर दिनांक 01.05.2024 को मैं उपेन्द्र जी से मिला तो उपेन्द्र जी ने मेरे घरेलू बिजली कनेक्शन करने की एवज में पूर्व में मेरे से 3000 रूपये लेना तथा शेष रिष्वति कुछ कम करने के लिये कहने पर राषि 4000 रूपये आज सुबह कनेक्शन करने पर देने हेतु कहॉ। इस प्रकार उपेन्द्र जी ने मेरे से 7,000/-रूपये रिश्वत राशि की मांग की। इस पर आज दोपहर को उपेन्द्र जी को मैंने फोन किया तथा मिलने हेतु कहा तो उपेन्द्र जी ने कहा कि मैं शाम को साढे पांच बजे के आसपास तेरे गांव बस्सी की तरफ आउगा तो गॉव से पहले वही पर मिल लेंगे। इसके संबंध में मैंने आपको बताया था। अभी उपेन्द्र जी मेरे गांव के बाहर श्मषान घाट के पास, बस्सी रोड, बोटून्दा तिराहा पर अपनी मोटरसाईकिल के पास खडे हुए थे। जिनको मैंने देखकर आपको बताया तथा तब आपने वॉयस रिकार्डर चालू कर उपेन्द्र जी के पास भेजा था। मैं वहां पर उपेन्द्र जी के पास पहुंचा तथा अपने घरेलू कनेक्शन के लिए कहा तो उन्हांने मुझे शेष 4,000 रूपये देने हेतु कहा। मैंने इनकी मांग के अनुसरण में अभी 4,000 रूपए रिश्वत राशि इनको दी जिस पर इन्होंने रिश्वत राशि अपने हाथ में रखी है। इस पर आरोपी को तसल्ली देकर पुनः पूछा गया तो रोने लगा तथा कहने लगा ' दिनांक 29.04.2024 को श्री अशोक कुमार माली मेरे पास आया था। मुझसे कहा कि मेरी माता प्रेम देवी के नाम से हमने छ माह पहले घरेलू कनेक्शन के लिए फाईल लगायी थी लेकिन अभी तक भी हमारे कनेक्शन नही हुआ है। आप मेरा कनेक्शन करवा दो। इस पर मैंने अशोक कुमार को कहा कि मैं आपका घरेलू कनेक्शन करवा दूंगा। आपको मुझे 8,000 रूपये देने पडेंगे तथा मेरे द्वारा उसी समय रूपये मांगने पर अशोक कुमार माली ने मुझे 3000 रूपयें दिए थे तथा दिनांक 01.05.2024 को अशोक कुमार माली मुझसे दोबारा मिला तथा मुझसे पैसे कम करने हेतु कहा तो मैंने उससे 4,000 रूपये और देने हेतु कहा तो उसने कहा की अभी मेरे पास नही है। कल आप कनेक्शन करने आओगे तब मैं आपको 4,000 रूपये दे दूंगा। इस पर आज दोपहर में मेरे पास अशोक कुमार माली का फोन आया तब मैंने उससे कहा कि मैं शाम को 5ः30 के आसपास तुम्हारे गांव आउगा, वही पर तु मुझे रोड के पास मिल जाना। इस पर मैं यहां आकर रोड पर खडा ही था कि तभी अशोक कुमार माली अचानक मेरे पास आया और अपने कनेक्शन करने हेतु कहा तथा 4,000 रूपये मेरे हाथ में जबरदस्ती पकडा दिए। मेरी जिंदगी खराब हो गयी। मुझे माफ कर दो'आरोपी उपेन्द्र कुमार के हाथ में रखे रूपये को गवाह श्री अजय सेलीवान को सुपुर्द

करवाकर सुरक्षित रखवाए गए। घटनास्थल आम रास्ता होने से काफी भीड एकत्रित हो जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी श्री उपेन्द्र कुमार के दाहिने हाथ को श्री आसिफ खान सहायक उपनिरीक्षक पुलिस से तथा बाये हाथ को स्वतंत्र गवाह अजय सेलीवान से कलाई के उपर से पकडवाकर हमराह लेकर मय आरोपी की मोटरसाईकिल के पुलिस थाना टोडारायसिंह पहुचा। जहां थानाधिकारी कक्ष के बाहर श्री सत्यनारायण सहायक उपनिरीक्षक थाना टोडारायसिंह मौजुद मिले जिनको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराही जाप्ता का परिचय देकर अग्रिम ट्रैप कार्यवाही के लिए उनके थाना कक्ष का उपयोग करने हेतु मौखिक सहमति चाही तो उन्होंने अपनी मौखिक सहमति देने पर मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता मय आरोपी श्री उपेन्द्र कुमार के कक्ष में प्रवेश किया तथा अग्रिम ट्रैप कार्यवाही आरंभ की गयी। इसके पश्चात गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ डिसपोजल के गिलासों में साफ पानी भरवाया जाकर एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन मय स्वतंत्र गवाहान के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी उपेन्द्र कुमार के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन मय स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। साफ डिसपोजल के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री उपेन्द्र कुमार के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन मय स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की षिषियों में आधा-आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। डिस्पोजल गिलासो को बाहर फिकवाया गया। स्वतंत्र गवाह श्री अजय सेलीवान के पास आरोपी श्री उपेन्द्र कुमार से बरामद रिश्वत राशि जो पूर्व में रखवाई गयी थी जिन्हें दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये तो 500-500 रूपये के 8 नोट कुल 4,000 रूपये होना पाया गया। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबषुदा फर्द पेषकषी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया जाकर विवरण निम्नानुसार पाया गया। 1 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 6AC 439119 2 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 6VW 596891 3 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 6EW 732887 4 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 5AW 711727 5 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 1UD 051319 6 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 6KW 812505 7 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 0RQ 621176 8 एक नोट 500 रूपये नम्बरी 0GF 797611 उपरोक्त नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क-एन अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिये गये। आरोपी श्री उपेन्द्र कुमार की तलाषी गवाह श्री अजय सेलीवान से लिवायी गयी तो आरोपी की जीन्स के दाहिने जेब से एक वीवो कम्पनी का मोबाईल मिला, जिसमें दो जियो कम्पनी की सिम लगी हुई जिनके नम्बर 8825291417 व 9783412945 है। ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी एवं आरोपी के मध्य टेलिफोनिक वार्ता भी हुयी है, अतः उक्त मोबाईल को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क-एम-1 अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। दौराने कार्यवाही श्री रौनक मोदी कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता जेवीएनएल टोडारायसिंह जिला टोंक तलबषुदा उपस्थित आये जिसने परिवादी की मां प्रेम देवी पत्नी गोरू लाल सैनी निवासी बस्सी की घरेलू कनेक्शन की पत्रावली की प्रमाणित प्रति लाकर पेश की। जिसका अवलोकन किया गया तो पत्रावली में आवेदन पत्र परिवादी की मां प्रेम देवी पत्नी गोरू लाल सैनी निवासी बस्सी के नाम क्रमांक- 2113320008507 दिनांक 08.11.2023 हो रखा है। जिसके साथ आवश्क दस्तावेजात संलग्न है। आवेदन पत्रावली में कुल पेज संख्या 01 से 29 अंकित है। पत्रावली को शामिल कार्यवाही की गयी। आरोपी की मोटरसाईकिल हीरो सुपर स्पलेण्डर नम्बर RJ26-SU-2433 को आरोपी के कहे अनुसार श्री रौनक मोदी कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक अभियंता, जेवीएनएल टोडारायसिंह जिला टोंक को सुपुर्द किया गया। समय 6.50 पी.एम. पर आरोपी श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिशोर जाति कुषवाह उम्र 36 साल निवासी गांव यषपुर पोस्ट तरवा पुलिस थाना फतेहपुर जिला गया (बिहार) हाल तकनीकी सहायक द्वितीय (लाईनमेन) कार्यालय सब डिविजन सहायक अभियंता जेवीवीएनएल टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री अशोक कुमार माली से उसकी माता प्रेमदेवी पत्नि श्री गोरूलाल माली निवासी बस्सी के नाम से घरेलू बिजली कनेक्शन जीएसएस टोडारायसिंह से करवाने की एवज में रिश्वत के 8,000/-रूपये की मांग कर सत्यापन में 7,000 रूपये रिश्वत राशि लेना तय हुआ। जिसमें से आरोपी ने परिवादी से 3000 रूपये रिश्वत के पूर्व में प्राप्त कर लिए थे और शेष 4,000 रूपयें रिश्वत राशि लेने की मांग की थी। जिसके अनुसार आज दिनांक 02.05.2024 को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4,000 रूपये परिवादी को देकर आरोपी उपेन्द्र के बताये अनुसार उनके बतायी जगह बस्सी रोड, बोटून्दा तिराहा, श्मषान घाट के पास भेजा जहां पर आरोपी उपेन्द्र कुमार ने अपनी मांग के अनुसार रिश्वत राशि 4,000 रूपये अपने हाथों में ग्रहण की। जिस पर राशि के 4,000/-रूपये आरोपी से बरामद की गयी। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से आरोपी को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया।

समय 7.10 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री आसिफ खान स.उ.नि., मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32, श्री ईष्वर प्रकाष कानि. 256, श्री राजकुमार कानि. 160, श्री जलसिंह कानि. 248, स्वतंत्र गवाहान श्री अजय सेलिवाल, श्री कन्हैयालाल चौहान, परिवादी श्री अषोक कुमार माली, मय आरोपी उपेन्द्र कुमार मय लेपटाप के घटना स्थल का नक्षा मौका मुर्तिब करने हेतु मय प्राईवेट वाहनो के रवाना हुआ एवं श्री शेष जाप्ता को उचित हिदायत देकर पुलिस थाना टोडारायसिंह छोडा गया। समय 7.20 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय प्राईवेट वाहन के घटना स्थल बस्सी रोड, बोटून्दा तिराहा, शमषान घाट के पास पहुचा। घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निषादेही से नक्षा मौका मुर्तिब किया तथा समय 7.50 पी.एम. पर परिवादी व श्री राजकुमार कानि. 160 को उचित हिदायत कर पुलिस थाना टोडारायसिंह के लिये रवाना किया गया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी मय प्राईवेट वाहन के आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाषी हेतु रवाना हुआ। समय 8.05 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय प्राईवेट वाहन के आरोपी के सरकारी आवास क्वार्टर जे.वी.वी.एन.एल. ऑफिस टोडारायसिंह पहु ॅचा। जहॉ पर तलबषुदा श्री सत्यनारायण स.उ.नि., श्रीमति मनीषा महिला कानि. 820 पुलिस थाना टोडारायसिंह उपस्थित मिले। आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाषी स्वतंत्र गवाहान महिला कानि. व हमराही जाप्ता के साथ प्रियंका कुशवाह की उपस्थिति में ली जाकर फर्द मुर्तिब की गई। समय 8.40 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी मय प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना टोडारायसिंह के लिये रवाना हुआ। समय 8.55 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय आरोपी उपेन्द्र कुमार मय प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना टोडारायसिंह पहु ॅचा। समय 9 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबर मल ने दौराने ट्रेप कार्यवाही श्री उपेन्द्र कुमार हाल तकनीकी सहायक द्वितीय (लाईनमेन) कार्यालय सब डिविजन सहायक अभियंता जेवीवीएनएल टोडारायसिंह जिला टोंक व परिवादी श्री अशोक कुमार माली के मध्य दिनांक 01.05.2024 को हुयी मॉग सत्यापन वार्ता व आज दिनांक 02.05.2024 को हुई लेन-देन वार्ता जो सरकारी वॉयस रिकार्डर मे रिकार्ड है, सरकारी वॉयस रिकॉर्डर की सहायता से हैड फोन लगाकर वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर तलबषुदा सहकर्मी श्री रौनक मोदी पुत्र स्व. श्री रामअवतार मोदी जाति मोदी उम्र 30 साल निवासी वार्ड नम्बर 01 थाना टोडारायसिंह जिला केकडी हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय सहायक अभियंता जेवीवीएनएल, टोडारायसिंह जिला टोक को सुनवाई गई तो सहकर्मी ने एक आवाज आरोपी उपेन्द्र कुमार की होने की पहचान की। फर्द पहचान आवाज आरोपी की पृथक से तैयार कर सम्बिंधतो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली कि गई। समय 11.15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय परिवादी मय गिरफ्तारषुदा आरोपी उपेन्द्र कुमार मय ट्रेप बाक्स, जप्तषुदा व शील्डषुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि वायस रिकार्डर, कार्यालय लेपटाप व प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन के पुलिस थाना टोडारायसिंह से ए.सी.बी. चौकी टोक के लिये रवाना हुआ। दिनांक 03.05.2024 समय 00.30 ए.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारषुदा आरोपी उपेन्द्र कुमार मय ट्रेप बाक्स, जप्तषुदा व शील्डषुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि, वायस रिकार्डर, कार्यालय लेपटाप व प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन के ए.सी.बी. चौकी टोक आया। समय 00.40 ए.एम. पर श्री मोहम्मद जुनैद स.उ.नि. मय श्री राजकुमार कानि. 160 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह मय आरोपी उपेन्द्र कुमार के आरोपी के स्वास्थय परीक्षण व सुरक्षार्थ कोतवाली में छोडने हेतु तहरीर देकर उचित हिदायत देकर रवाना किया गया। समय 00.45 ए.एम. पर रिश्वत लेन-देन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रि्रप्ट श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रषासनिक अधिकारी से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 03 खाली सीडीयो में राईट किया गया। 2 सीडीयो को पृथक-पृथक प्लास्टिक के कवर में रखकर सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क बी-1, बी-2, अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। समय 1.35 ए.एम. पर श्री मोहम्मद जुनैद हैड कानि. 32 मय श्री राजकुमार कानि. 160 मय सरकारी वाहन मय चालक श्री गणेश सिंह कानि. 375 के वापस आये व जाहिर किया कि मय गिरफ्तारषुदा आरोपी उपेन्द्र कुमार के रवाना होकर अस्पताल टोक पहुचे। आरोपी का स्वास्थय परीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट प्राप्त की तथा बाद स्वास्थय परीक्षण के रवाना होकर कोतवाली टोक पहुचे तथा आरोपी को सुरक्षार्थ कोतवाली टोक में दाखिल करवाकर रसीद प्राप्त की गई। रवाना होकर वापस आये। समय 1.40 ए.एम. पर रिष्वत मॉग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन-देन वार्ता से सम्बंधित 2 मूल मैमोरी कार्ड ज्ञक्ड 16 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क-एम-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 2.15 ए.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नमूना व नाशान पीतल की सील मुर्तिब की गई एवं समय 3 ए.एम. पर स्वतंत्र गवाह व परिवादी को मुनासिब हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 3.05 ए.एम. पर पूर्व में कार्यलय आलमारी में रखे रिश्वत मांग सत्यापन से सम्बन्धित शील्डषुदा पैकेट सी.डी. मार्क ए-1, ए-2 को निकालवाकर व ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित

मालखाना जब्तषुदा व सिल्डषुदा आर्टिकल्स धोवण के सिल्ड सैम्पल्स मार्क आर-1, आर-2, एल-1, एल-2, सिल्डषुदा रिश्वत राषि 4000/- रूपये मार्क एन, जप्तषुदा मोबाईल पैकिट मार्क "एम-1 रिष्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित सीडियॉ पैकेट मार्क बी-1, बी-2 एवं रिश्वत मॉंग सत्यापन वार्ता व रिष्वत लेन-देन वार्ता से सम्बन्धित 2 मूल मैमोरी कार्ड का शील्डषुदा पैकेट मार्क "एम-2" बतौर वजह सबूत जरिये आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक के जमा मालखाना करवाया गया। समय 3.30 ए.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीडियॉ तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। समय 4 ए.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिशोर जाति कुशवाह उम्र 36 साल निवासी गांव यशपुर पोस्ट तरवां पुलिस थाना फतेहपुर जिला गया (बिहार) हाल तकनीकी सहायक द्वितीय (लाईनमेन) कार्यालय सब डिविजन सहायक अभियंता जेवीवीएनएल टोडारायसिंह जिला टोंक द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री अशोक कुमार माली से उसकी माता प्रेमदेवी पत्नि श्री गोरूलाल माली निवासी बस्सी के नाम से घरेलू बिजली कनेक्शन करवाने की एवज में रिष्वत के 8,000/-रूपये की मांग कर मांग सत्यापन में 7,000 रूपये रिश्वत राशि लेना तय हुआ। जिसमें से आरोपी ने परिवादी से 3000 रूपये रिश्वत के पूर्व में प्राप्त कर लिए थे और शेष 4,000 रूपयें रिश्वत राशि लेने की मांग की थी। जिसके अनुसार दिनांक 02.05.2024 को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4,000 रूपये परिवादी को देकर आरोपी उपेन्द्र के बताये अनुसार उनके बतायी जगह बस्सी रोड, बोटून्दा तिराहा, श्मषान घाट के पास भेजा जहां पर आरोपी उपेन्द्र कुमार ने अपनी मांग के अनुसार रिश्वत राशि 4,000 रूपये अपने हाथों में ग्रहण की। जिस पर रिश्वत राशि के 4,000/-रूपये आरोपी से ट्रेप टीम द्वारा बरामद की गयी। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिशोर जाति कुशवाह उम्र 36 साल निवासी गांव यशपुर पोस्ट तरवां पुलिस थाना फतेहपुर जिला गया (बिहार) हाल तकनीकी सहायक द्वितीय (लाईनमेन) कार्यालय सब डिविजन सहायक अभियंता जेवीवीएनएल टोडारायसिंह जिला टोंक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। (झाबर मल) अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री झाबर मल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामकिशोर निवासी गांव यशपुर पोस्ट तरवा, पुलिस थाना फतेहपुर जिला गया (बिहार) हाल तकनीकी सहायक द्वितीय (लाइनमैन) कार्यालय सब डिविजन सहायक अभियंता, जेवीवीएनएल, टोडारायसिंह, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री पारस मल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रषटाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 53   पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक. प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 354-57 दिनांक 04.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर। 2 मुख्य कार्मिक अधिकारी, ज.वि.वि.नि.लि. जयपुर। 3 उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर । 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक। पुलिस अधीक्षक.प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken :   Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** parasmal panwar **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/05/2024 14:47:22

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)